रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1480] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2019/वैशाख 10, 1941
No. 1480] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2019/VAISAKHA 10, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2019

का.आ. 1665(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है कि किसी तेल क्षेत्र में लगे हुए उद्योग की सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 17 में आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होगी;

और केन्द्रीय सरकार ने 16 सितंबर, 2018 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अंतिम रूप से उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है, जिसे भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4334(अ), तारीख 6 सितंबर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था;

और 16 सितंबर, 2018 से प्रभावी छह मास की उक्त अवधि 15 मार्च, 2018 को समाप्त हो गई है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी तेल क्षेत्र में लगे हुए उद्योग की सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2018-आईआर(पीएल)]
कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2019

S.O.1665(E).-—Whereas, the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industry engaged in the any oilfield, which is covered under item 17 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas, the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 16th September, 2018 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4334(E), dated the 6th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii);

And whereas, the said period of six months with effect from the 16th September, 2018 has expired on 15th March, 2019;

And whereas, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months from the date of publication of this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in any oilfield to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. S-11017/1 /2018-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.